

22/12/15

मिठाई...
उपके द्वारा दिनांक 16/3/16 को पेश हो।

9.3.16

आज यह पत्रावली श्रीमान् जिला कलेक्टर, नागौर के आदेश क्रमांक 2015/568 के दिनांक 24.03.2015 की पालना में सहायक...
(एस.डी.ओ. नागौर के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2015/278 दिनांक 10...)
के द्वारा स्थानांतरित होकर प्राप्त हुई है जो दर्ज रजिस्टर हो।
तलकी 16/3/16 को पेश हो।

1658/10/2
211/10 8/3
16

सहायक कलेक्टर (पु.)
नागौर

16.3.16

पत्रावली पराहुरा वकील वादी उर्फ...
वादी वकील डा. उर्फ वादीगण के पत्र...
राजिस्टर्ड डाक से पेश काने प्रजायी होकर
पत्रावली दि. 30-3-16 को पेश हो।

30.3.16

पत्रावली पराहुरा वकील वादी उर्फ...
वादी वकील डा. उर्फ वादीगण के पत्र...
राजिस्टर्ड डाक से पेश काने प्रजायी होकर
पत्रावली दि. 18-5-16 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (पु.)
नागौर

45/16

पत्रावली सातवाण तहसील, जयपुर (सुप-1) विभाग, जयपुर की डा. क्रमांक प.12 (9) स.प. 1/2016 दिनांक 12.04.2016 के दिनांक 12.04.2016 के नागौर के पत्र क्रमांक/कोर्ट/911-26 दिनांक 12.04.2016 के अनुसार पेश होकर दिनांक 18/5/16 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (पु.)
नागौर

18/5/16

पत्रावली राजाह लोक अदालत के...
वजवाग से पराहुरा वकील वादी...
उर्फ उर्फ वादीगण 293 उर्फ...

जलवादी क 2 की कोर के 07R11 पर
 का प्रार्थना पत्र पेश कल निवेदन
 किया कि वादग्रस्त भूमि की
 खोलेदारी वादी के नाम नहीं
 है। उक्त प्रार्थना पत्र का पकीरि
 वादी ने कोई जवाब नहीं दिया
 गया। कदम उनी गठोपगावकी
 का अवलोकन किया गया। कदम
 पर मनन किया गया। वादग्रस्त
 खण्ड 518 की 11-05 की धा भूमि
 वादी के नाम खोलेदारी भूमि
 नहीं है। कालिक पूर्व वादी के
 1 के नाम खोलेदारी भूमि है।
 वादी के उक्त वाद के खोलेदारी
 अधिकारों की घोषणा का
 अनुलोम नहीं पाया है। रानी
 स्थान के वाद वादी संघाण
 योग्य नहीं होने के कारण
 जलवादी क 2 / प्रार्थी का प्रार्थना
 पत्र 07R11 पर न्यायादिक के
 लीखा किया जाइल वाद
 वादी स्वार्जित किया जाता है।
 पत्र डिठि जारी है। पगावकी
 कदम मुथा होकर दालिख दफा है।

A8
1

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत.सहायक कलक्टर (मु.) नागौर कैम्प कोर्ट खजवाना
बइजलास ए. एच. गौरी. आर. ए. एस.

सुरेन्द्र पुत्र हडमान जाति जाट निवासी फिरोजपुरा तहसील व जिला नागौर वादी

बनाम

1. हडमान पुत्र मेहराम जाति जाट निवासी फिरोजपुरा तहसील व जिला नागौर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नागौर जिला नागौर
3. उप पंजीयक, नागौर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अधीन धारा 188 सपठित धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं 189 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु
बहाजरी _____ मिनजानिब मुदई ब _____
मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वाद वादी
खारिज किया जाता है।

बीज _____ मुबलिग. _____ बाबत् _____ खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व
शरह _____ फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. _____ को अदा
करें।

बसब्त मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.05.2016 को जारी की
गई ।

(ए.एच.गौरी)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प वकालात नामा	—
स्टाम्प वकालात नामा	—	—	स्टाम्प अर्जी	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महनताना वकील पर	—
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—
फीस कमिश्नर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—
बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	—
मुतफर्रिक	—	—		
मीजान	—	—	मीजान	—

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का , चाहे डिकरी के ज दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (मु.) नाग